प्रेस नोट दिनांक 21.02.2023
जनपद बरेली।

श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय बरेली द्वारा अपनी देखरेख मे प्रभावी पैरवी कराते हुए 10 मुकदमे मे से चिन्हित मुकदमा मे अभियुक्त गिरीश को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20 हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित कराया गया । अर्थ दण्ड जमा न करने की स्थिति मे 01 माह का अतिरिक्त कारावास दण्डित होगा।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन मे जघन्य अपराधों में प्रभावी/समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के क्रम में , श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर ,जनपद बरेली के नेतृत्व मे 10 मुकदमो मे से चिन्हित मुकदमा मे क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय बरेली की देखरेख/पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमो मे प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक सजा कराये जाने के क्रम मे थाना सुभाषनगर बरेली पर दिनांक 25.03.2015 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह थाना सुभाषनगर बरेली द्वारा 03 माह के बच्चे को चोरी कर बेच देने व खरीदने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 104/15 धारा 370 भादवि बनाम 1.गिरीश पुत्र मोतीराम नि0 मिलक रौंधी थाना सुभाषनगर बरेली 02. इशराइल पुत्र अमीर बक्श नि0 कस्बा व थाना नवाबगंज बरेली पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 25.03.2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 10.06.2015 को आरोप पत्र किता कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया । चिन्हित 10 मुकदमो मे से उक्त अभियोग मे मे क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय बरेली द्वारा अपनी देखरेख मे प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त **गिरीश पुत्र मोतीराम नि0 मिलक रौंधी थाना सुभाषनगर बरेली को** मा0 न्यायालय श्रीमान अपर जिला एंव सत्र न्यायालय कक्ष सं0 10 जनपद बरेली द्वारा दिनांक 21.02.2023 को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20 हजार रूपये अर्थ दण्ड दण्डित कराया गया। अर्थ दण्ड जमा न करने की स्थिति मे 01 माह का अतिरिक्त कारावास दण्डित होगा।